अध्याय-1

परिचय

इस अध्याय में जल जीवन मिशन (जेजेएम) और राजस्थान में इसकी भौतिक और वित्तीय प्रगति का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

1.1 स्वच्छ पेयजल-एक बुनियादी आवश्यकता

स्वच्छ पेयजल तक पहुँच मानव की एक मूलभूत आवश्यकता है। यह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। स्वच्छ पेयजल के महत्व का आंकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि मानव सभ्यताओं का विकास उन नदी घाटियों में हुआ, जहां प्रचुर मात्रा में पेयजल उपलब्ध था। हमारे सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ *ऋग्वेद* में भी जल को अत्यधिक आनन्द देने वाला तथा स्नेही माताओं के समान पोषण प्रदान करने वाला माना गया है।

आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥

हे जल! चूँकि आप सुख के स्रोत हैं, हमें समृद्धि का उपभोग करने का वरदान दें और महान एवं आनंददायक अनुभूति प्रदान करें। (ऋग्वेद 10.9.1)

भारत की ग्रामीण आबादी का असुरक्षित पेयजल स्रोतों (तालाब, नदियां आदि) पर निर्भर रहना, जो विभिन्न जैविक प्रदूषकों से दूषित होते हैं, देश में जल जनित रोगों के प्रसार का एक प्रमुख कारण है।

यद्यपि भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात कई योजनाओं/कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम (1954), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (1951-56), राष्ट्रीय पेयजल मिशन (1986), स्वजलधारा (2002) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (2009-10) के माध्यम से पेयजल सुरक्षा हेतु प्रयास किए हैं, किन्तु जल की मांग एवं आपूर्ति के बीच असंतुलन का मुद्दा गंभीर बना रहा है।

1.2 राज्य में पेयजल की स्थिति

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भूगोलीय क्षेत्र का 10.40 प्रतिशत है। राज्य का ग्रामीण क्षेत्र पेयजल के लिये प्रमुख रूप से भू-जल पर आश्रित है, क्योंकि लगभग 55 प्रतिशत जल स्रोत भू-जल पर निर्भर है। राज्य में कुल सतही जल संसाधन, देश के कुल सतही जल संसाधन का सिर्फ़ 1.16 प्रतिशत हैं। अल्प वर्षा तथा सिंचाई एवं पेयजल प्रयोजनों हेतु भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल का स्तर चिंताजनक स्तर तक घट गया है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में प्रकाशित डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज (डीजीडब्ल्यूआर) रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल 302 ब्लॉक में से 214 ब्लॉक को 'अतिदोहित', 27 ब्लॉक को 'संकटग्रस्त', 21 ब्लॉक को 'अर्द्ध-संकटग्रस्त' और सिर्फ़

37 ब्लॉक को 'सुरक्षित' श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, तीन ब्लॉक को 'लवणीय' श्रेणी में रखा गया है। नीचे दिए गए मानचित्र में स्थिति दर्शायी गई है:

चित्र 1.1 भूजल संसाधनों के लिए राजस्थान की क्षेत्रवार स्थिति

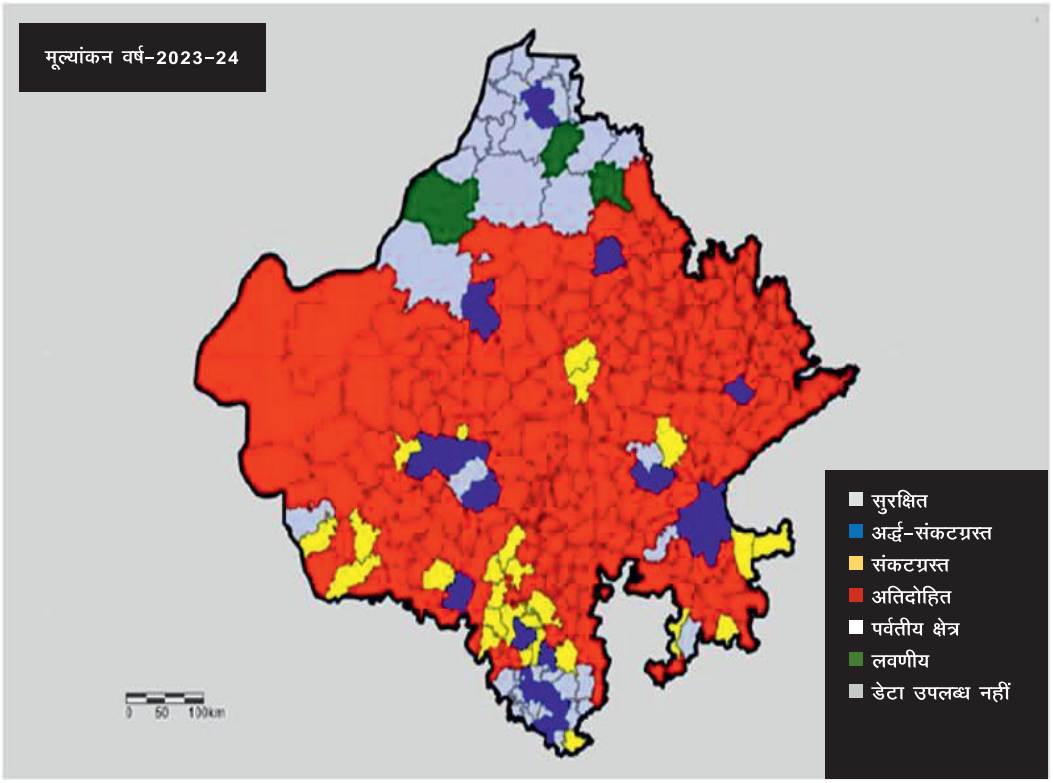

स्रोत: राजस्थान के डीजीडब्ल्यूआर का प्रतिवेदन (दिसंबर 2024)

उपलब्ध भूजल भी फ्लोराइड, नाइट्रेट, लवणता आदि से रासायनिक रूप से प्रदूषित है, जिससे यह पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। उपलब्ध भू-जल भण्डारों के तीव्र क्षय के कारण रासायनिक मानकों की दृष्टि से उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। अतः सुरक्षित पेयजल का प्रबंधन अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार ने फरवरी 2010 में राज्य जल नीति को अपनाया, जिसमें जल संसाधनों की योजना, विकास और प्रबंधन के लिए सतत आधार पर बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को समाहित किया गया है।

1.3 जल जीवन मिशन-पाइप से जलापूर्ति का लक्ष्य

जल जीवन मिशन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को प्रारम्भ की गई एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना का समग्र नीति निर्धारण, योजना निर्माण, वित्तपोषण और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय का कार्य, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसे राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ प्रारम्भ किया गया है।

राजस्थान में, जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत (जीपी) और/या उसके उप-समिति को अपने गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाने, क्रियान्वित करने, प्रबंधित करने, संचालित करने तथा रख-रखाव करने में सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थागत व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।

जेजेएम का लक्ष्य 2024 के अंत तक देश के 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों (एचएच) को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से सुरक्षित पाईपयुक्त पेयजल की आपूर्ति प्रदान करना है। एक एफएचटीसी में जल आपूर्ति के संदर्भ में तीन निश्चित विशेषताएं होती हैं अर्थात (i) पर्याप्त मात्रा (कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन), (ii) निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएसः 10500 मानक के अनुसार), और (iii) लंबी अवधि में निरंतर आपूर्ति। इस मिशन में पानी के पुनः उपयोग और पुनर्भरण के पहलुओं को भी सम्मिलित किया गया है। चूँकि इस मिशन के केंद्र में ग्राम समुदाय है, इसलिए ग्राम समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित किए जाने का भी प्रावधान किया गया था।

1.4 जेजेएम के उद्देश्य

जेजेएम के प्रमुख उद्देश्य थेः

- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों के ग्रामों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत चयनित ग्रामों आदि को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी उपलब्ध कराना;
- विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों तथा सामुदायिक भवनों को एफएचटीसी उपलब्ध कराना;
- नल कनेक्शनों की कार्यशीलता की निगरानी करना;
- नकद, सामग्री एवं/या श्रम तथा स्वैच्छिक श्रमदान के माध्यम से स्थानीय समुदाय में स्वैच्छिक स्वामित्व की भावना को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करना;
- जल आपूर्ति प्रणाली की सततता सुनिश्चित करने में सहायता करना, जिसमें जल स्रोत, जल आपूर्ति अवसंरचना तथा नियमित संचालन एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक निधि सम्मिलित है;
- क्षेत्र में मानव संसाधन का सशक्तिकरण एवं विकास करना, ताकि निर्माण, प्लंबिंग, विद्युत, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल उपचार, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण, संचालन एवं अनुरक्षण आदि की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके; तथा
- सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पहलुओं एवं उसके महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा हितधारकों की भागीदारी को इस प्रकार प्रोत्साहित करना कि जल प्रबंधन को सभी की साझा जिम्मेदारी बनाया जा सके।

1.5 जेजेएम के घटक

जेजेएम ने अपने अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन से संबंधित कई घटकों को सम्मिलित किया है। जल जीवन मिशन के प्रमुख घटकों को नीचे **चित्र 1.2** में दर्शाया गया है:

चित्र 1.2: जेजेएम के घटक

स्रोत: जेजेएम विवरणिका-2024

1.6 संस्थागत तंत्र

जेजेएम को विकेंद्रीकृत, मांग आधारित और सामुदायिक प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। इसे शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर एक सुदृढ़ चार-स्तरीय संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है, जैसा कि नीचे उल्लेखित किया गया है:

राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) स्थापित किया गया है। मिशन निदेशक (एनजेजेएम) इसके प्रमुख हैं तथा इसे एनआईसी के डेटा एवं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और बहु-विषयक विशेषज्ञों वाले परियोजना प्रबन्धन ईकाई का समर्थन प्राप्त है।

राज्य स्तर पर, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। इसमें एक शीर्ष समिति और एक कार्यकारी समिति भी सम्मिलित होती है। शीर्ष समिति की अध्यक्षता राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रभारी सचिव सदस्य होते हैं। कार्यकारी समिति में 5-10 सदस्य होते हैं, जिनमें जल, ग्रामीण विकास, जन/सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता

एवं साफ-सफाई तथा प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के क्षेत्र से, तीन से अधिक नहीं, विशेषज्ञ सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं।

जिला स्तर पर, डिप्टी कमिश्नर/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) का गठन किया गया है। इसमें जल प्रबंधन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास और स्थानीय सांसद जैसे व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है। पीएचईडी का अधिशाषी अभियंता सदस्य-सचिव होता है।

ग्राम स्तर पर, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के गठन में सरपंच तथा 10-15 सदस्य, जिनमें 25 प्रतिशत निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य, 50 प्रतिशत महिलाएँ तथा 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) सम्मिलित होते हैं। वीडब्ल्यूएससी, पीएचईडी की सहायता से, ग्राम स्तर की जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, क्रियान्वयन, प्रबन्धन, संचालन एवं रख-रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिशन का उद्देश्य वीडब्ल्यूएससी को 'स्थानीय जल उपयोगिता' के रूप में सशक्त बनाना है, जो जल आपूर्ति सेवा के वितरण पर ध्यान केंद्रित करे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 2010 में एक राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) भी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव करते हैं।

जेजेएम के लिए स्थापित उक्त संस्थागत तंत्र के कार्य नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शाए गए हैं

चार्ट 1.1: जेजेएम का संस्थागत तंत्र

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम)	• जेजेएम के समग्र कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी है तथा राज्यों को नीति-मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
राज्य जल स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)	• नीति-मार्गदर्शन प्रदान करना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता गतिविधियों में अभिसरण सुनिश्चित करना, निगरानी एवं मूल्यांकन करना तथा जलापूर्ति परियोजनाओं का प्रबंधन करना।
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी)	• राज्य स्तर पर परियोजनाओं की योजना बनाना एवं उन्हे अनुमोदित करना, पूर्व में अनुमोदित योजनाओं की प्रगति, पूर्णता एवं चालू होने की समीक्षा करना तथा नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना।
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम)	• जिला स्तर पर जिला कार्य योजना तैयार करने तथा जेजेएम के निगरानी एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी।
ग्राम जल स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)	• ग्राम स्तर पर ग्राम कार्ययोजना तैयार करने तथा योजनाओं के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी।

स्रोत: जेजेएम के परिचालन सम्बन्धी दिशानिर्देश

पीएचईडी के प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक प्रमुख हैं, जिन्हें मिशन निदेशक, जेजेएम तथा ग्यारह[1] मुख्य अभियंता सहयोग प्रदान करते हैं। राज्य में जेजेएम के अंतर्गत सभी जलापूर्ति योजनाओं का विकास, क्रियान्वयन, प्रशासन एवं प्रबंधन, क्षेत्रीय, वृत्त, खण्ड तथा उप-खण्ड स्तर पर किया जाता है, जिनका नेतृत्व क्रमशः अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा किया जाता है। राज्य में 25 क्षेत्रीय कार्यालय, 73 वृत्तीय कार्यालय तथा 229 खण्ड कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, जेजेएम दिशा-निर्देशों के अनुसार सहयोगी गतिविधियों के निष्पादन हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सपोर्ट प्रोग्राम का एक कार्यालय भी (अक्टूबर 2022) स्थापित किया गया है।

उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले जल की रासायनिक एवं जैविक जांच तथा निगरानी के लिए दो[2] राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं (एसएलएल), छह[3] क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं तथा 26[4] जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं (डीएलएल) कार्यरत हैं।

1.7 जेजेएम की भौतिक प्रगति

जेजेएम के आरम्भ (15 अगस्त 2019) के समय राज्य में 1,07,75,281 ग्रामीण परिवार थे। इनमें से 11,68,553 परिवारों (10.84 प्रतिशत) के पास पहले से ही नल जल कनेक्शन उपलब्ध थे, अतः शेष 96,06,728 परिवारों को जेजेएम के अंतर्गत एफएचटीसी उपलब्ध कराया जाना था। 07 जनवरी 2025 तक कुल 47,65,980 परिवारों (49.61 प्रतिशत) को एफएचटीसी प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि 48,40,748 परिवार (50.39 प्रतिशत) अब भी समावेशित किये जाने शेष हैं। जेजेएम के अंतर्गत परिवारों के समावेशन की वर्षवार प्रगति का विवरण आगामी अध्याय में दिया गया है।

1.8 वित्तीय प्रबंधन

जेजेएम के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय हेतु निधि की आवश्यकता, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में राज्यों द्वारा दर्ज किए गए उन शेष परिवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिन्हें एफएचटीसी प्रदान किया जाना है। जेजेएम के अंतर्गत निधि प्रवाह से संबंधित तीन मुख्य घटक हैं, अर्थात् समावेशन, सहयोगी गतिविधियाँ तथा जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्वेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस)। जेजेएम के क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा साझेदारी के आधार पर वहन किया जाता है, जिसमें समावेशन के लिए 50:50,

---

1 मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, मुख्य अभियंता (प्रशासन), मुख्य अभियंता (तकनीकी), मुख्य अभियंता (ग्रामीण), मुख्य अभियंता (जेजेएम), मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू), मुख्य अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण), मुख्य अभियंता (विशेष परियोजना), मुख्य अभियंता (जेआईसीए), मुख्य अभियंता (परियोजना), जोधपुर तथा मुख्य अभियंता (परियोजना), उदयपुर।

2 एक मुख्य रसायनज्ञ, प्रशासन एवं शहरी के अंतर्गत तथा दूसरा मुख्य रसायनज्ञ, जेजेएम एवं ग्रामीण के अंतर्गत।

3 अजमेर, भरतपुर , बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर।

4 अलवर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, हनुमानगढ़, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, सिरोही और टोंक।

तथा सहयोगी गतिविधियों एवं डब्ल्यूक्यूएमएस के लिए 60:40 का अनुपात निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, कुल आवंटित निधि का अधिकतम पाँच प्रतिशत, सहयोगी गतिविधियों तथा दो प्रतिशत डब्ल्यूक्यूएमएस के लिए उपयोग किया जा सकता है।

राज्य में जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2019-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान जारी की गई कुल ₹ 27,302.30 करोड़[5] की राशि में से ₹ 25,380.94 करोड़ की राशि व्यय की गई। वर्ष 2019-25 के दौरान उपलब्ध कुल निधि तथा उसके विरुद्ध किए गए व्यय की स्थिति को नीचे **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.2: राजस्थान में जेजेएम के अन्तर्गत जारी निधि के विरुद्ध किया गया व्यय

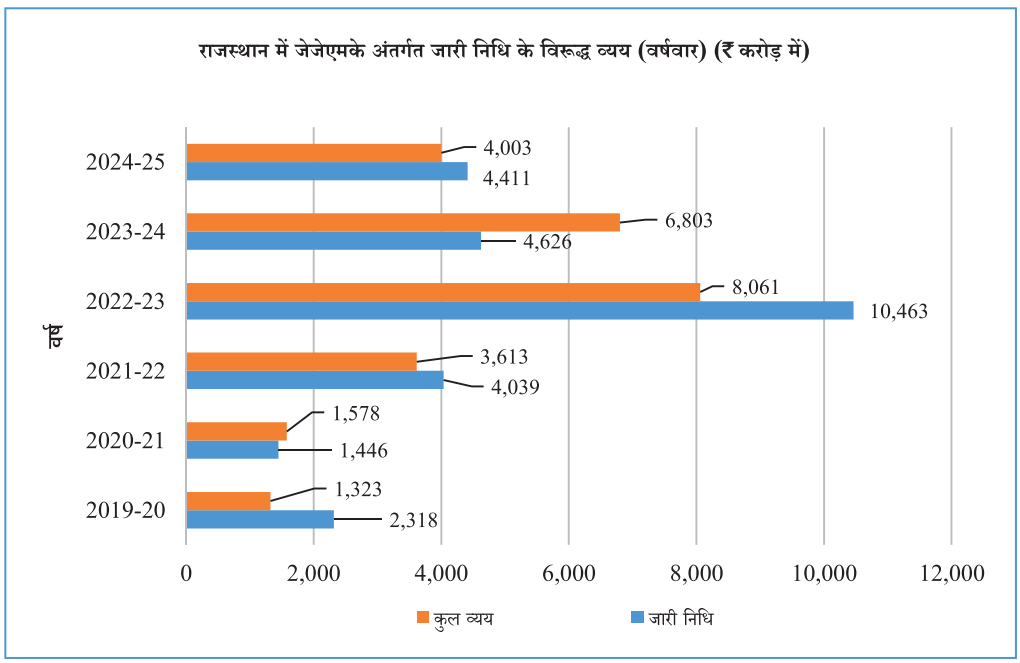

स्रोत: www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम प्रतिवेदन (फरवरी 2025 तक)

1.9 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि:

- कार्यक्रम के उद्देश्य (आउटपुट एवं आउटकम) सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए गए हैं;
- योजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन एवं परिचालन-उपरांत प्रबंधन हेतु एक कुशल संस्थागत ढांचा विद्यमान है;
- वित्तीय संसाधनों का उपयोग किफ़ायती एवं दक्षतापूर्ण ढंग से किया गया है; तथा
- कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियाँ आगामी दो से तीन दशकों तक स्थायी हैं तथा भविष्य की पीढ़ियों हेतु जल-सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है।

[5] इसमें ₹ 313.67 करोड़ का प्रारम्भिक शेष सम्मिलित है।

1.10 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित थेः

- जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु परिचालन दिशा-निर्देश;
- ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत एवं वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका;
- जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्वेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) की संरचना;
- सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित दायित्व तथा वाश मानकों हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी);
- सामान्य वित्तीय नियम, 2017 तथा राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम;
- जेजेएम के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा जारी आदेश।

1.11 लेखापरीक्षा नमूना–चयन

जुलाई 2024 तक राजस्थान राज्य में कुल 50 जिले थे, जिनमें से दो जिलों जोधपुर एवं जयपुर सिटी पूर्णतः शहरी जिले हैं तथा इन दोनों जिलों में जेजेएम से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की गई। शेष 48 जिलों[6] में से लेखापरीक्षा ने सात जिलों[7] का चयन किया गया तथा प्रत्येक चयनित जिले से *iDEA* सॉफ्टवेयर के माध्यम से, रेंडम सेम्पलिंग तकनीक द्वारा, दो ब्लॉकों का चयन किया। इसके पश्चात, प्रत्येक चयनित ब्लॉक के 'हर घर जल' प्रमाणित गांवों में से *iDEA* सॉफ्टवेयर के माध्यम से दो ग्राम चुने गए। इस प्रकार, क्षेत्रीय अध्ययन हेतु कुल 14 ब्लॉक एवं 28 ग्रामों का चयन किया गया। चयनित जिलों, ब्लॉकों एवं ग्रामों का विवरण ***परिशिष्ट–1*** में दिया गया है।

1.12 लेखापरीक्षा का कार्य–क्षेत्र एवं कवरेज

निष्पादन लेखापरीक्षा में अगस्त 2019 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु पीएचईडी द्वारा की गई गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा के अंतर्गत चयनित सात जिलों में मुख्य अभियंता (जेजेएम), मुख्य अभियंता (विशेष परियोजनाएँ), मुख्य रसायनज्ञ (एसएलएल), रसायनज्ञ (डीएलएल), अधीक्षण अभियंता (डीडब्ल्यूएसएम) तथा अधीक्षण अभियंता (वृत) के कार्यालयों के अभिलेखों का नमूना जाँच की

---

[6] निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, जिलों की कुल संख्या 50 से घटाकर 40 कर दी गई थी। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा पर इस कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए चुने गए सात जिले अभी भी संशोधित 40 जिलों में यथावत् बने रहे।

[7] अलवर, बारां, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर-ग्रामीण, पाली और सिरोही ।

गई। इसके अतिरिक्त, चयनित 28 ग्रामों में ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिशाषी अभियंताओं के अधीन पीएचईडी खण्डों के अभिलेखों का भी विश्लेषण किया गया। आगे, जेजेएम के आउटपुट/आउटकम के आंकलन हेतु 560 लाभार्थियों (प्रत्येक चयनित ग्राम से 20 लाभार्थी) का लाभार्थी सर्वेक्षण एवं संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) के अभिलेखों की जांच भी की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारम्भ 30 अगस्त 2024 को आयोजित प्रारम्भिक बैठक के साथ हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की कार्यप्रणाली पर शासन सचिव, पीएचईडी तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

अभिलेखों की जाँच, लाभार्थी सर्वेक्षण तथा आईएमआईएस पर अपलोड किए गए आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए।

इसके अतिरिक्त, 20 अगस्त 2025 को मिशन निदेशक (जेजेएम) एवं संयुक्त शासन सचिव, पीएचईडी के साथ एक निर्गम बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तरों (अगस्त 2025 एवं नवंबर 2025) को प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.13 आभार

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, पीएचईडी, उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।